P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-6*September-2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

निराश्रित गृहों में निवासरत बच्चों का समाजशास्त्रीय अध्ययन
Children Living of in Destitute Homes Sociological Studies

Paper Submission: 14/09/2021, Date of Acceptance: 23/09/2021, Date of Publication: 24/09//2021

चन्द्र प्रभा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश / Abstract

बच्चे का बचपना प्रकृति का वरदान है हंसता, खेलता, उन्मुक्त, निश्चिन्त बचपन मानवीय जीवन का स्वर्णिम काल है। इस प्रकार वरदान के साथ जीना प्रत्येक बच्चे का विशेषाधिकार है, जो उसे प्रत्येक दशा में मिलना ही चाहिये, इसलिए दुनियाँ भर के बच्चों की खराब स्थिति में सुधार लाने के लिए; यदि तुरन्त प्रभावशाली उपाय नहीं किये जाते हैं, तो हम जिस खुशहाल एवं स्वस्थ संसार के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं वह पूरी नहीं होगी। बच्चे के विकास के शुरूआती वर्षों में एक परिवार का होना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, परन्तु कई बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि उनको परिवार का सुख मिल सके, ऐसे बच्चों के लिए दत्तक एक मात्र सहारा है जो इन अनाथों और निराश्रित बच्चों के लिए एक प्रेमपूर्ण घर प्रदान कर सकते हैं। पूरे विश्व में लगभग 15.3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। इनमें से कुछ ही बच्चे ही बालगृह अथवा बालिकागृहों तक पहुंच पाते है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं बालगृह अथवा बालिकागृहों में निवासरत बच्चों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

Childhood of a child is the gift of nature Laughing, playing, free, restless childhood is the golden period of human life. Thus it is the privilege of every child to live with a boon, which he must get in every situation, so as to improve the poor condition of children around the world; If effective measures are not taken immediately, then the happy and healthy world we are envisioning to build will not be fulfilled. Having a family is very important in the early years of a child's developmentBut many children are not fortunate enough to have family happiness, for such children adoption is the only support that can provide a loving home for these orphaned and destitute children. There are about 153 million orphan children all over the world. Only a few of these children are able to reach the children's homes or girls' homes. In the present study, a sociological study of the children residing in these children's homes or girls' homes has been done.

मुख्य शब्दः निराश्रित बच्चे, बालगृह अथवा बालिकागृह।
Key words: Destitute Children, Children's Homes Or Girls' Homes.

प्रस्तावना

समाज में दो प्रकार के बालक एवं बालिकाओं को संरक्षण या देख-भाल की आवश्यकता है, प्रथम ऐसे बालक एवं बालिकाएं जिन्होंने समाज में किसी भी तरह का अपराध किया हो। दूसरे ऐसे बालक एवं बालिकाएं जिनका इस समाज में देखभाल करने वाला कोई न हो, जैसे माता-पिता या कोई संरक्षक। इन दोनों प्रकार के बच्चों की देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगर किसी बच्चे ने किसी भी तरह का अपराध किया है, तो उसे किशोर न्याय अधिनियम, 2007 (संशोधित, 2015 पुनः संशोधित) (J.J.Act) के तहत संरक्षण मिलेगा, और दूसरे ऐसे बालक एवं बालिकाएं जिनका इस समाज में देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं, उन्हें न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के तहत संरक्षण या देख-भाल करने के लिये लाया जाता है। समाज में दो तरह के बच्चे निराश्रित होते हैं। एक वे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी और उनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं हो। दूसरे वे बालक एवं बालिकायें जिनके सौतेले माता-पिता हैं, और उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी घर को छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेनों, बसों, स्टेशनों पर भीख माँगने को मजबूर हो जाते हैं, जब ऐसे बच्चों के बारे में सोचा जाये, तो इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी समाज या सरकार की बनती है। इसी के तहत सरकार ने न्याय पीठ बाल कल्याण समिति का गठन किया है। अगर कहीं भी कोई अनाथ या निराश्रित बच्चा मिलता है, तो सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कि चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर फोन करके सूचना दे, और जब तक चाइल्ड हेल्प लाइन से कोई व्यक्ति न आये, तब तक उस बच्चे को अकेला न छोड़े और उसके खाने-पीने की

व्यवस्था करें, उसके बाद उस चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 से आये व्यक्ति या पुलिस को सौंप दें, तत्पश्चात् उस बच्चे को न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष भेजा जायेगा।

बालगृह अथवा बालिका गृह

राज्य सरकार स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से देखरेख की आवश्यकता वाले जरूरत मंद बालकों के लिये पृथक गृहों (बालगृह अथवा बालिकागृहों) की स्थापना करेगी। अधिनियम की धारा-34 की उपधारा-3 तथा इन नियमों के नियम-3 के अधीन सभी बालगृहों को "बाल देख-रेख संस्था" के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। नियम-70 के अनुसार, सभी बालगृह प्रमाणित होंगे। सभी जरूरतमंद देख-रेख और संरक्षण के प्रत्येक बालक के बारे में सम्बंधित समिति रिपोर्ट देंगे, 5-10 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियांे को एक ही गृह में रखा जायेगा, किन्तु 5 से 10 वर्ष के आयु समूह के लड़के एवं लड़कियों हेतु अलग-अलग सुविधायें होंगी, और प्रत्येक बालगृह में शिशुओं हेतु उपर्युक्त सुविधाओं के साथ 0-5 वर्ष के आयु समूह के बालक एवं बालिकाओं हेतु शिशुगृह के रूप में अलग-अलग सुविधायें होगी। 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग-अलग बालगृह एवं बालिकागृह स्थापित किये जायेंगे।

प्रत्येक बालगृह एवं बालिकागृह व्यापक "बाल देख-रेख केन्द्र" होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य इन नियमों के नियम-55 के अधीन गठित प्रबंध समिति के माध्यम से समुदाय एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के द्वारा बालकों की देखरेख के लिये समेकित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण ईकाई अथवा राज्य सरकार इन बाल गृहों के कार्यों की समीक्षा करेंगी, प्रत्येक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, भावनात्मक आवश्यकताओं यथा शिक्षा, कौशल, विकास, संरक्षण तथा विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा। परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवायें जैसे पारिवारिक देखरेख, दत्तक ग्रहण एवं प्रायोजन चाइल्ड हेल्प लाइन (1098 निःशुल्क चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर) के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं का विस्तार किया जायेगा। इसके अन्तर्गत छः वर्ष से कम आयु के बालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये 'समेकित बाल विकास सेवा स्कीम' से सकेन्द्रण किया जायेगा। बालकों के समर्थन, सेवायें प्रदान करने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाना भी शामिल है।

यूनीसेफ

यूनीसेफ' की स्थापना दूसरे महायुद्ध के बाद युद्ध ग्रस्त देश के उन बच्चों को सूखा दूध आदि पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, जो युद्ध के कारण प्रभावित हुये थे।"[2] इस संगठन की स्थापना के बाद ही दुनियाँ भर के बच्चों के महत्व और मानवीय आधार पर उनके अधिकारों का एहसास हुआ। दुनियाँ दुनियाँ ने पहली बार यह जाना कि बच्चों के रूप में विद्यमान इस भावी पीढ़ी को यदि अनदेखा किया गया तो एक अच्छी, स्वस्थ एवं सशक्त दुनियाँ का निर्माण सम्भव नहीं होगा।दुनियाँ ने पहली बार यह भी अनुभव किया कि युद्ध हो, गृहयुद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो या महामारी इन सबका गहरा और व्यापक प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है। इन समस्त आपदाओं में से कोमल फूल ही सबसे अधिक मुरझाते हैं। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रूक जाता है। इसी विचार ने संयुक्त राष्ट्र को 'यूनीसेफ' की नींव डालने के लिये प्रेरित किया था।

संयुक्त राष्ट्र बालकोष (यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड) यूनीसेफ की स्थापना का आरम्भिक उद्देश्य विश्व युद्ध में नष्ट हुये राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसम्बर, 1946 को की थी। सन् 1953 में यूनीसेफ संयुक्त राष्ट्र की स्थाई संस्था बन गयी। उस समय इसका नाम "युनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंड" की जगह "युनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड" कर दिया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है, वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ को उसके बेहतर कार्य के लिये शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन् 1989 में संगठन को 'इंदिरा गाँधी शान्ति पुरस्कार' भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं, और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनीसेफ फंड एकत्रित करने के लिये विश्वस्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनेहेगन, डेनमार्क में है। यह कुछ महत्त्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एच0 आई0 वी0 पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिये दवा, कुपोषण के उपचार के लिये दवाईयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ के कामों की देख-रेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में 'यूनीसेफ' मुख्यतः पाँच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है:1. बच्चों का विकास; 2. बुनियादी शिक्षा; 3. लिंग के आधार पर समानता; 4. बच्चों का हिंसा से बचाव; 5. शोषण, बालश्रम के विरोध में भ्ट एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिये काम करता है।'[5]

"बच्चों के मानवीय अधिकारों को लेकर यूनीसेफ का पहला सम्मेलन 1989 में न्यूयार्क में सम्पन्न हुआ था। जिसमें विश्व भर के 187 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में बाल अधिकारों से सम्बंधित जो दस्तावेज स्वीकार किया गया था। उसमें सभी देश सहमत हुये थे, और उन्होंने बच्चों

के लिये विशेष कार्यक्रम चलाने तथा उनके विकास दर पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान देने का प्रण लिया था। इस दस्तावेज में बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है।"[4] इस सम्मेलन को आयोजित हुये अब तीस वर्ष से अधिक बीत गये हैं लेकिन दुःख की बात ये है कि इस अवधि में बच्चों के लिये विशेष कुछ भी नहीं किया गया और न ही कार्यक्रम बने, कुछ योजनाओं को जैसे-तैसे लागू भी किया गया किन्तु उपलब्धियाँ बहुत कम रहीं।

अन्य देशों को छोड़ दे और केवल भारत को ही लें तो हमें यह जानकर दुःख होगा कि, आजादी की 73 वर्ष बीतने के बाद भी हम बच्चों के संबंधों में उतने जागरूक नहीं हुये, जितना हमें होना चाहिये। "यूनीसेफ पिछले सत्तर वर्ष से बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है, किन्तु दुनियाँ के करोड़ों गरीब बच्चे आज भी दयनीय स्थिति में ही है, बात अपनी जगह और भी चिन्ताजनक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाने वाली बाल कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद बच्चों की समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति उदासीनता में कमी नहीं आयी।"5 यूनीसेफ की रिपोर्ट बताती है कि केवल विकासशील देशों में ही नहीं विकसित देशों में भी इस बीच बाल मजदूरों की संख्या घटने की अपेक्षा और अधिक बढ़ गयी है। स्वयं भारत में जहाँ बाल कल्याण योजनाओं को चलते हुये करीब पाँच वर्ष हो गये हैं, फिर भी कुल जनसंख्या के आधे से अधिक बच्चे अशिक्षा, कुपोषण तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं। बच्चों की स्थिति को सुधारने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को स्वीकृत तथा 02 सितम्बर 1990 को बच्चों को अधिकार दिलाने के लिये लागू किया गया। 'संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र' में घोषित सिद्धान्तों के अनुसार मानव परिवार के सभी सदस्यों की सहजता, गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों की स्वीकृति विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार स्तम्भ है। मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा और मानवाधिकार सम्बंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने घोषणा की और इस बात पर सहमत हुये कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार के विभेद के बिना जैसे नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म राजनीतिक या अन्य मत राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्य सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थितियों पर आधारित विभेद के बिना उक्त घोषणा तथा उक्त प्रसंविदाओं में उल्लिखित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अधिकारी है, और यह भी उद्घोषणा की, कि बचपन विशेष देख-भाल और सहायता का पात्र है। प्रत्येक बच्चे को समाज में एक व्यक्तिगत जीवन जीने के लिये पूर्णरूप से तैयार किया जाना चाहिये। उसका लालन-पालन संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में घोषित आदर्शों के अनुरूप और विशेष रूप से शांति, गरिमा, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, समानता और एकता की भावना के साथ किया जाना चाहिये यह ध्यान रखते हुये कि "सन् 1924 की बाल अधिकार सम्बंधी जेनेवा घोषणा पत्र तथा 20 नवम्बर, 1959 को महासभा द्वारा अंगीकृत बाल अधिकार सम्बंधी घोषणा में बच्चे की विशेष देखभाल की आवश्यकता स्पष्ट कर दी गई और मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में अनुच्छेद-23 व 24 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्बंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ये अनुच्छेद-10 एवं बच्चे के कल्याण से सम्बंधित विशिष्ट एजेंसियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विधानों और प्रासंगिक पत्रजातों एवं उपकरणों में उक्त आवश्यकता को मान्य किया गया है।"6

यह स्वीकार करते हुये कि विश्व के सभी देशों में ऐसे बच्चे हैं, जो नितांत कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में विशेष रूप से विकासशील देशों के बच्चों के जीवन की अवस्थाओं को सुधारने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व को स्वीकार करते हुये घोषणा पत्र लागू किया।

जब विश्व के सभी देश, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिये काम कर रहे हैं, तो शोधार्थिनी के मन में भी यह विचार एक चिन्तन का रूप में आया और इसी की परिणति के रूप में प्रस्तुत शोध विषय का चयन किया।

अध्ययन का उद्देश्य

1. निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकाओं हेतु संचालित बालगृहों एवं बालिकागृहों की स्थिति का अध्ययन करना।
2. निराश्रित संवासी ।

प्रकाल्पना

1. निराश्रित संवासी बालकों की उपेक्षा संवासिनी बालिकाओं की स्थिति अति चिन्ताजनक होने की संभावना है।
2. निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति को लेकर गम्भीर समस्यायें बनी रहती हैं, तथा निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकायें अपने जीवन को मनोवैज्ञानिक रूप से सामाजिक उपेक्षा से ग्रसित महसूस करते हैं।

साहित्यावलोकन

1. सयुंक्त राष्ट्र संघ की यूनीसेफ के तहत सी0 बी0 मलिक (2000) द्वारा अपने शोध परियोजना कार्य, "भारत में परित्यक्त बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं मानसिक दशाओं का अध्ययन" पर कार्य करते हुए लिखा है कि परित्यक्त या समाजशास्त्रीय आधार पर संवासी बालक एवं बालिकाओं का स्वास्थ्य एवं उनकी मानसिक दशायंे अत्यंत चिंताजनक है, इनमें अधिकतर बालक एवं बालिकाएं कुपोषित एवं मंद बुद्धि के पाये गये। मलिक के द्वारा किये कार्यों के आधार पर केन्द्र सरकार ने इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए नीतिगत कदम उठाये जिसमें समेकित बाल संरक्षण योजना प्रमुख है।
2. इलाहाबाद हाईकोर्ट की वरिष्ठ एडवोकेट सैय्द दिशा सईद ने 2003 से 2005 तक इलाहाबाद क्षेत्र के संवासी बालक एवं बालिकाओं का वैधानिक अध्ययन कर ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार जोड़ा जाये इस पर अपने सुझाव दिये और शोध कार्य किया। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000; नियम 2007 के अंतर्गत संवासी बालक एवं बालिकाओं को वैधानिक रूप से सुख-सुविधायें दिलाने का अथक प्रयास किया।
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, लखनऊ की Institutional Care and Alternative for Children" विनिकी करोली द्वारा सन् 2013 में किशोर न्याय अधिनियम, 2000, नियम 2007 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों का अध्ययन किया जिसमें शोषित बालक एवं बालिकाओं एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक एवं बालिकाओं का अध्ययन किया तथा अपने सुझाव से उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत करवाया।
4. शांति का नोबल पुरुस्कार (2014) पाने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ता और बचपन बचाओं आंदोलन से जुड़े रहे, कैलाश सत्यार्थी द्वारा बालक एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करना। किया गया कार्य जिसमें गंभीर बाल शोषण, विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए बाल श्रमिक, बाल संरक्षण परिवार की प्राथमिकता, कानून के साथ संघर्षरत बच्चे, कानून से सम्पर्क में आये बच्चे जैसे-पीड़ित या गवाह या अन्य परिस्थितियों में बच्चों को समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत वैधानिक सुरक्षा, देखभाल एवं पुर्नवास उपलब्ध कराये जाने जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मलित हैं।

लेखक के अनुसार अध्ययन के अंतर्गत इतना ही कार्य है इसके आगे कोई अध्ययन नही हुआ है।-

परिकल्पना

1. निराश्रित संवासी बालकों की उपेक्षा संवासिनी बालिकाओं की स्थिति अति चिन्ताजनक होने की संभावना है।
2. निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति को लेकर गम्भीर समस्यायें बनी रहती हैं, तथा निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकायें अपने जीवन को मनोवैज्ञानिक रूप से सामाजिक उपेक्षा से ग्रसित महसूस करते हैं।

निदर्शन

दैव निर्दशन पद्धति से इटावा एवं कानपुर जनपद के स्थापित बालगृह एवं बालिकागृहों में निवासरत बच्चों में से 100 बच्चों का चयन किया गया है। इन बच्चों से साक्षात्कार के आधार पर तथ्यों को एकत्रित किया गया है।

तालिका – 1

परिवार को छोड़ने का कारण सम्बंधी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	सौतेले माता–पिता	15	15.00
2.	माता–पिता का दुर्व्यवहार	8	8.00
3.	माता–पिता की मृत्यु	6	6.00
4.	रोजगार की खोज	3	3.00
5.	मित्र मण्डली के प्रभाव के कारण	7	7.00
6.	पता नहीं	53	53.00
7.	अन्य	8	8.00
	योग	100	100.00

जिन बच्चों के पालन-पोषण, हित एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिए परिजनों को जाना जाता है, वे ही परिजन अपने बच्चों के साथ ऐसा भी व्यवहार सकते हैं, कि बच्चों को अपना घर तक छोड़ने को मजबूर होना पड़ जाता है। संकलित तथ्यों क(संकेत - अनुसंधित्सु द्वारा संकलित आँकड़े)

प्रस्तुत अध्ययन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपरोक्त तालिका है, क्योंकि इस तालिका के आँकड़ों से ही स्पष्ट होता है कि, बच्चों को इस निराश्रित स्थिति में किन कारणों से आना पड़ा है। सबसे अधिक 53 (53 प्रतिशत) ऐसे निराश्रित बच्चे हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, कि उन्हें इस परिस्थिति में किस कारण से जूझना पड़ रहा है ? इसके बाद देखें तो 15 (15 प्रतिशत) बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता-पिता सौतेले हैं। माता-पिता के दुर्व्यवहार की वजह से घर छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 8 (8 प्रतिशत) है। इसी प्रकार 6 (6 प्रतिशत) ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी थी, लेकिन उनकी माता अथवा पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया, और परिजनों के अन्य सदस्यों के व्यवहार के कारण अपना परिवार छोड़ना पड़ा। इस तालिका में ऐसे बच्चों की भी एक बहुत बड़ी संख्या 7 (7 प्रतिशत) है, जो कि अपने मित्रों के कारण अपना घर छोड़ आये हैं। अन्य कारणों से घर-परिवार छोड़ने वाले बच्चों की सख्या 8 (8 प्रतिशत) है। 3 (3 प्रतिशत) ऐसे संवासी बच्चे हैं, जो कि अपने घर-परिवार को काम-धंधे (रोजगार) की तलाश में छोड़ आये हैं। उन्हें काम-धंधा तो मिला नहीं, परन्तु उन्हंे निराश्रित बच्चों की जिन्दगी जीने को अवश्य मजबूर होना पड़ा है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह तो स्पष्ट होता है, कि सबसे अधिक 53 (53 प्रतिशत) वे बच्चे हैं, जिन्हें अपने परिजनों से अलग होने का कारण नहीं पता, लेकिन अपने घर-परिवार से अवश्य अलग हो गये।अपने परिजनों के दुर्व्यवहार के कारण भी अपने परिजनों को छोड़ने को मजबूर होने वाले बच्चों की संख्या 8 (8 प्रतिशत) है, इस अध्ययन में शामिल हैं। किसी भी समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, कि

तालिका – 2

बालगृह अथवा बालिकागृह में आपको कैसा लगा

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छा	58	58.00
2.	सामान्य	22	22.00
3.	खराब	20	20.00
	योग	100	100.00

संकेत - अनुसंधित्सु द्वारा संकलित आँकड़े)

बालगृह अथवा बालिकागृह में रहते हुये संवासी बच्चों को कैसा लगता है? इस प्रश्न से सम्बंधित आँकड़ों को एकत्रित करने के उपरांत देखा गया, कि 58 (58.00 प्रतिशत) संवासी बच्चों को बालगृह अथवा बालिकागृह में रहना अच्छा लगता है। सामान्य लगने की बात स्वीकार करने वाले बच्चों की संख्या 22 (22.00 प्रतिशत) है। बालगृह अथवा बालिकागृह में रहने वाले ऐसे भी बच्चे हैं, जिन्हें बालगृह अथवा बालिकागृह में अच्छा नहीं लगता है, यह बात स्वीकार करने वाले बच्चों की संख्या 20 (20.00 प्रतिशत) है।

इस प्रकार देखा जाये तो 80 बच्चों ने अपने आपको बालगृह अथवा बालिकागृह में समायोजित कर लिया है, जबकि 20 संवासी बच्चों ने अपने आपको समायोजित नहीं कर पाये थे, उन्हें अभी भी बालगृह अथवा बालिकागृह में रहना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो बालगृह में बच्चों के

पालन-पोषण के साथ उनके मनोरंजन एवं शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था रहती है, फिर भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट होता है कि निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकाओं हेतु संचालित बालगृहों एवं बालिकागृहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं है। निराश्रित बच्चों को रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप मे कार्य कर रहे हैं। बच्चें अनेक विषम परिस्थितियों से जूझने के उपरांत इन निराश्रित गृहों में पहुंच पाते हैं। घर छोड़ने के कारणों को देखें तो आधे से अधिक बच्चों को यह जानकारी ही नहीं है कि वे किन कारणों से इस परिस्थिति में पहुंच गये है। सबसे ज्यादा दुःखद बात हो यह है कि 23 बच्चे अपने माता-पिता के कारणों से इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। क्योंकि इन बच्चों के माता-पिता का व्यवहार अच्छा नहीं था। इनमें सौतेले माता-पिता की भी संख्या 15 है। जो समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक बात है।

उपकल्पना में निराश्रित संवासी बालकों की उपेक्षा संवासिनी बालिकाओं की स्थिति अति चिन्ताजनक होने की संभावना व्यक्त की गयी थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से सही प्रतीत होती है। दूसरी उपकल्पना निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति को लेकर गम्भीर समस्यायें बनी रहती हैं, तथा निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकायें अपने जीवन को मनोवैज्ञानिक रूप से सामाजिक उपेक्षा से ग्रसित महसूस करते हैं, यह भी सत्य साबित हुई है।

निराश्रित संवासी बालक एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु संवैधानिक स्थितियों के कारण ही बच्चों के लिए बालगृहों एवं बालिकागृहों की व्यवस्था हो सकी है, जिसमें बच्चों को सुरक्षित रखा जा सका है।

अंत में कहना पड़ेगा सरकारों द्वारा किये गये इन प्रयासों को सराहा जा सकता है, परन्तु जनसंख्या की तुलना में यह प्रयास ऊँट के मुँह में जीरे के समान ही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि, बाल कल्याण समिति पुलिस के आलावा समाज के सभ्रांत लोगों को भी इन निराश्रित बच्चों के कल्याण लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके साथ स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर अध्ययन करने वालें समाजशास्त्र एवं सोशल वर्क विधा के छात्रों को भी इन बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने प्रेरित ही नहीं अपितु अनिवार्य किया जाना चाहिए

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Books

1. *Murthy, N. Narayan (2006), Corporate Ethics, Tata Mc Braw Hill Publishing Co. Ltd. New Delhi, Pg. Nos. eg.*
2. *Murthy, N. Narayan (2006), Corporate Ethics, Tata Mc Braw Hill Publishing Co. Ltd. New Delhi*

Ph D Thesis

3. *Alam, Aftab (1996), 'Study on strategies for Tourism Development in India, Ph. D. thesis, AMU, Aligarh., Pg. No.s*

Journal

4. *Devashish, S. K. (Oct. 1996), The Giving Model and Corporate Excellence : A field Report Decision, pp 219-224, Monikutty, S (1997) Telecom Services in Urban and Corporate Segments : A Consumer Perspective, Vikalpa, Vol. 22, No. 3, pp 15-18.*

Book reviews

5. *which require no abstract, must be in the following order: Name of author/title of book reviewed/place of publication/publisher/year of publication/number of pages, in Roman and Arabic figures to include preliminary pages.*
6. ***No dots** after abbreviations (UK, USA, MBBS, MBA etc.) Use dots after initials (K.C. Sethi).*
7. ***Capitalization** of headings/text should be kept to the minimum and should be consistent.*